क्रम-संख्या–180

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शनिवार, 23 मई, 2026

ज्येष्ठ2, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या137 / 79-वि-1–2026-2-क-13-2026

लखनऊ, 23 मई, 2026

———————

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता(तृतीय संशोधन)अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2026), जिससे राजस्व अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता(तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2026

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13सन् 2026)

[भारत गणराज्य के सतहत्तरवेंवर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 8 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 76 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में, धारा 76 की उपधारा (1) में, खण्ड (घघ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थातः—

''(घघघ) इस संहिता के प्रवर्तन के दिनांक से, जिला—पीलीभीत, लखीमपुर—खीरी, रामपुर और बिजनौर में पुनर्वासित प्रत्येक व्यक्ति, जो—

(एक) भारत/पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापित हुआ था और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधीन भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो;

अथवा

(दो) अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो;

अथवा

(तीन) उपनिवेशन योजना/कॉलोनाइजेशन स्कीम के अधीन बसाया गया हो;

और इस संहिता के प्रारम्भ होने से पूर्व, वह सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के अधीन कृषिक पट्टेदार हो एवं धारा 77 में उल्लिखित भूमि से भिन्न भूमि पर उसका खेतिहर कब्जा हो तथा खतौनी में श्रेणी—1ख में इस रूप में अभिलिखित होः

परन्तु यह कि जहाँ किसी व्यक्ति की कब्जे की भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहाँ ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विहित रीति से सीमांकित किया जायेगा;

(घघघघ) इस संहिता के प्रवर्तन के दिनांक से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधीन भारतीय नागरिकता के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत/पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापित हुआ था और जिला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर तथा बिजनौर में 25 अक्टूबर, 1980 से पूर्व, इस संहिता की धारा 59 के अधीन धारा 77 में उल्लिखित भूमि से भिन्न ग्राम सभा में निहित किसी भूमि या राज्य सरकार द्वारा अनुदान दी गयी किसी भूमि या राज्य सरकार की किसी भूमि पर जिसका खेतिहर कब्जा हो, परन्तु यह कि प्रति परिवार 1 एकड़ से अधिक जोत पर असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान नहीं किये जायेंगेः

परन्तु यह कि जहाँ किसी व्यक्ति की कब्जे की भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहाँ ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विहित रीति से सीमांकित किया जायेगा।''

निसरन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2026) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अध्यादेश के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अध्यादेश के उपबंध सभी सारवान समय में प्रवृत्त थे।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
जे0पी0 सिंह—II,
प्रमुख सचिव।

No. 137(2)/LXXIX-V-1–2026-2-ka-13-2026

*Dated Lucknow,May*23, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajaswa Sanhita (Tritiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 13 of 2026)promulgated by the Governor.Rajaswa Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (THIRD AMENDMENT)ORDINANCE, 2026

(U.P. ORDINANCE NO. 13 OF 2026)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy-seventh Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Revenue Code (Third Amendment) Ordinance, 2026.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 8th day of April, 2026.

Amendment of Section 76 of U.P. Act no. 8 of 2012

2. In the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, in sub-section (1) of Section 76, *after* Clause (dd), the following Clauses shall be *inserted*, namely:-

"(ddd) with effect from the date of operation of this Code, every person rehabilitated in the districts of Pilibhit, Lakhimpur Kheri, Rampur and Bijnor, who-

(i) was displaced at the time of partition of India/Pakistan and is eligible for Indian citizenship under the Citizenship (Amendment) Act, 2019;

or

(ii) is belonging to the Scheduled Tribe Community;

or

(iii) is settled under Upaniveshan Yojana /Colonization Scheme;

and before the commencement of this Code, he is an agricultural lessee under the Government Grant Act, 1895 and he is in cultivatory possession of land other than that mentioned in Section 77 and is recorded as such in shreni 1 (Kh) in the Khatauni:

Provided that where the land in possession of a person, together with any other land, held by him in Uttar Pradesh exceeds the ceiling area determined under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, the rights of a Bhumidhar with non-transferable rights shall accrue in favour of such person in respect of so much area of the first mentioned land, as together with such other land held by him, does not exceed the ceiling area applicable to him, and the said area shall be demarcated in the prescribed manner in accordance with the principles laid down in the aforesaid Act;

(dddd) with effect from the date of operation of this Code, every person eligible for Indian citizenship under the Citizenship (Amendment) Act, 2019, who was displaced at the time of partition of India/Pakistan and is in cultivatory possession of any land vested in the Gram Sabha under section 59 of this Code or any land granted by the State Government or any land of the State Government other than land mentioned in Section 77, before 25thOctober, 1980, in the districts of Pilibhit, Lakhimpur Kheri, Rampur and Bijnor, Provided that non transferable rights will not be conferred on holding which is more than one acre per family:

Provided that where the land in possession of a person, together with any other land, held by him in Uttar Pradesh exceeds the ceiling area determined under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, the rights of a Bhumidhar with non-transferable rights shall accrue in favour of such person in respect of so much area of the first mentioned land, as together with such other land held by him, does not exceed the ceiling area applicable to him, and the said area shall be demarcated in the prescribed manner in accordance with the principles laid down in the aforesaid Act;"

Repeal and saving

3.(1) The Uttar Pradesh Revenue Code (Second Amendment) Ordinance, 2026(U.P. Ordinance no.7 of 2026), is here by repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Ordinance as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

———

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 159 राजपत्र–2026–(313)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 20 सा0 विधायी–2026–(314)–300 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।